Computer Proficiency Certification Test

Notations :

1.Options shown in green color and with ✔ icon are correct.

2.Options shown in red color and with ✖ icon are incorrect.

Question Paper Name:	REMINGTON GAIL 4th Aug 2018 Shift2
Subject Name:	Remington GAIL
Creation Date:	2018-08-04 18:17:22
Duration:	25
Show Result On Console:	No
Actual Answer Key:	Yes
Calculator:	None
Magnifying Glass Required?:	No
Ruler Required?:	No
Eraser Required?:	No
Scratch Pad Required?:	No
Rough Sketch/Notepad Required?:	No
Protractor Required?:	No

Mock

Group Number :	1
Group Id :	93249418
Group Maximum Duration :	10
Group Minimum Duration :	10
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	1
Mandatory Break time:	Yes
Group Marks:	0

Hindi Typing Test

Section Id :	93249430
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	1
Number of Questions to be attempted:	1
Section Marks:	0
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	93249430
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 1 Question Id : 932494243 Question Type : TYPING TEST Display Question Number : Yes

बहुत समय पहले की बात है हिमालय के जंगलो में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था एक दिन उसने बारासिंघे का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटने लगा अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान करने लगा।

Restricted/ Unrestricted: Unrestricted
Paragraph Display: Yes
Evaluation Mode: Non Standard
Keyboard Layout: Remington
Show Details Panel: Yes
Show Error Count: Yes
Highlight Correct or Incorrect Words: Yes
Allow Back Space: Yes
Show Back Space Count: Yes

Actual

Group Number :	2
Group Id :	93249419
Group Maximum Duration :	15
Group Minimum Duration :	15
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	0
Group Marks:	0

Hindi Typing Test

Section Id :	93249431
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	1
Number of Questions to be attempted:	1
Section Marks:	0
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	93249431
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 2 Question Id : 932494244 Question Type : TYPING TEST Display Question Number : Yes

भारत के संविधान में न्यायधीशों पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 124 (4) में मिलता है। इसके तहत सुप्रीमकोर्ट या हाईकोर्ट के किसी न्यायधीश पर साबित कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया विधानपालिका के न्यायिक अधिकारों में से है। लिहाजा महाभियोग की कार्यवाही संसद के सदनों में ही चलती है। जिस सदन में यह प्रस्ताव रखा जाता है वह इसे जांच के लिए दुसरे सदन को भेज देता है। सदन में न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की जांच होती है। इसके नतीजे बहुमत से पारित कर दूसरे सदन को फैसले के लिए भेज दिए जाते हैं। इस प्रस्ताव पर फिर मतदान होता है और दो तिहाई मतों से मंजूरी के बाद फैसला तय की जाती है। यह तय होता है कि अमुक न्यायाधीश पद पर बना रहेगा या उसे हटाया जाएगा। न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग के लिए किसी भी शिकायत पर लोकसभा के 100 सांसदों या रायसभा के 50 सांसदों की स्वीकृति जरूरी है। यह सांसद आरोपों की भलीभांति पढने-समझने और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही ऐसी सिफारिश करते हैं। ऐसे प्रस्ताव को सांसदों का पर्याप्त समर्थन मिलने के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष या रायसभा के सभापति को भेजा जाता है। इस पर भरपूर विचार के बाद अध्यक्ष तीन सदस्यों की एक जांच समिति बनाते हैं। इस समिति से सुप्रीमकोर्ट के दो जज और एक न्यायिक क्षेत्र का जाना-माना व्यक्ति होता है। यह समिति पूरे मामले की जांच करती है और इसे अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा के पटल पर रखती है। न्यायाधीशों की शिकायत और महाभियोग का प्रस्ताव अन्य लोगों से भी किया जा सकता है। ऐसी शिकायत पर लोकसभा पर लोकसभा और रायसभा के सदस्य संसद के दोनों सदनों में चर्चा करते हैं। इसके बाद ही महाभियोग का प्रस्ताव लाने के विषय में फैसला होता है। महाभियोग संवैधानिक प्रक्रिया की शुरूआत ब्रिटेन से मानी जाती है। वहां 14वीं सदी के उत्तरार्ध में महाभियोग का प्रावधान किया गया था। बाद में 1776 में और 1780 में मैसाचुसेट ने भी अपने संविधान में इसे जगह दी। ब्रिटेन में महाभियोग की प्रक्रिया भारत जैसी ही है। वहां भी न्यायधीशों पर महाभियोग का प्रस्ताव हाउस आॅफ काॅमन्स से शुरू होता है और इस बारे में फैसला, हाउस आॅफ लार्ड में लार्ड चांसलर की अध्यक्षता में किया जाता है। पिछले दो सौ वर्षो में वहां किसी पर महाभियोग नहीं चला। अमेरिकी संविधान के चौथे भाग के अनुच्छेद 2 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। वहां भी महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा से शुरू होकर सीनेट में खत्म होती है। वहां निचले सदन में आरोपों की जांच और चर्चा होती है और महाभियोग पर सजा का फैसला दो-तिहाई बहुमत से होता है। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हर स्तर के न्यायधीशों को पदच्युत करने के लिए महाभियोग का सहारा लेना पडता है।

Restricted/ Unrestricted: Unrestricted
Paragraph Display: Yes
Evaluation Mode: Non Standard
Keyboard Layout: Remington
Show Details Panel: Yes
Show Error Count: Yes
Highlight Correct or Incorrect Words: Yes
Allow Back Space: Yes
Show Back Space Count: Yes